न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 83 / 2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सज्जन सिंह चारण पुत्र रामनाथ सिंह, निवासी पारोली, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा।	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी, जिला भीलवाडा।
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक : 29.11.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 29.10.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 450767 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 22.09.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, कोटड़ी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 08.11.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, कोटड़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, कोटड़ी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 29.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा